

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 348]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 अगस्त 2016—श्रावण 28, शक 1938

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2016

क्र. एफ. 4-5-2016-उन्तीस-1.—लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवारों को वितरण किए जाने वाले केरोसीन की फुटकर विक्रय दर का निर्धारण पूर्णांक (राउण्ड-ऑफ) तथा सामान्य प्रचलन में सिक्कों (एक रुपये से कम) का मुद्रा के रूप में उपयोग न होने के कारण उपभोक्ताओं से पूर्णांक (राउण्ड-ऑफ) में प्राप्त अतिरिक्त राशि को एकमुश्त उपभोक्ताओं को वापस करने के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम “मध्यप्रदेश केरोसीन उपभोक्ता मूल्य [जिलेवार एकसमान पूर्णांक (राउण्ड-ऑफ) उपभोक्ता दर] नियम, 2016” है.

(2) ये नियम “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—क. “आयुक्त” से अभिप्रेत है, आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश;

ख. “ऑयल कंपनी” से अभिप्रेत है, इंडियन आइल कार्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन या कोई अन्य निकाय, जो भारत सरकार के पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अधिसूचना द्वारा आइल कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त हो;

ग. “उपभोक्ता दर” से अभिप्रेत है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन फुटकर विक्रेता द्वारा उपभोक्ता को विक्रय के लिए कलेक्टर द्वारा समय-समय पर अवधारित किया गया केरोसीन का विक्रय दर;

घ. “उचित मूल्य दुकान” से अभिप्रेत है, ऐसी दुकान जिसे राशनकार्डधारकों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के तहत प्राधिकार-पत्र जारी किया गया हो;

ड. "कलेक्टर" से अभिप्रेत है, जिला कलेक्टर;

च. "कमीशन" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किये गये कमीशन की गणना की गई रकम तथा अनुषांगिक व्यय, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्य या उसे देय हो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केरोसीन का विक्रय करता हो;

छ. "जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी" से अभिप्रेत है, जिले का जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी अथवा कोई अन्य अधिकारी, जिसे कलेक्टर द्वारा जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो;

ज. "जिलेवार एकसमान पूर्णांक (राउण्ड-ऑफ) उपभोक्ता दर" से अभिप्रेत है, जिले का आवंटित कुल केरोसीन मात्रा के क्रय करने पर ऑयल कंपनी को देय राशि में, परिवहन व वितरण में लगी संस्थाओं को देय कमीशन एवं परिवहन व्यय आदि को सम्मिलित कर कुल राशि को केरोसीन की आवंटित कुल मात्रा से विभाजित करने पर प्राप्त प्रति लीटर दर की पूर्णांक (राउण्ड-ऑफ) राशि;

झ. "परिवहन व्यय" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित परिवहन प्रभारों की गणना की गई रकम, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केरोसीन का परिवहन करने वाले किसी परिवहाहक को देय हो;

ञ. "पूर्णांक (राउण्ड-ऑफ) से बचत की रकम" से अभिप्रेत है, जिलेवार एकसमान पूर्णांक उपभोक्ता दर से परिवहन व्यय, कमीशन, वितरक को प्रदाय मूल्य और कर को कम करने के पश्चात् शेष बकाया रकम.

ट. "निधि" से अभिप्रेत है, प्राप्ति, जो इन नियमों के अधीन प्राप्ति योग्य हैं तथा उन पर संकलित ब्याज.

ठ. "थोक विक्रेता" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति, जो ऑयल कंपनी से केरोसीन क्रय करने तथा उसे फुटकर विक्रेता को विक्रय करने के लिए प्राधिकृत हो;

ड "लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली" से अभिप्रेत है, उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशनकार्डधारकों को आवश्यक वस्तुएं वितरित करने हेतु बनाई गई प्रणाली;

3. जिलेवार एकसमान पूर्णांक उपभोक्ता दर का निर्धारण.—3.1 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केरोसीन के वितरण हेतु उचित मूल्य दुकानवार एवं थोक डीलरवार केरोसीन का आवंटन आयुक्त, खाद्य कार्यालय से प्रतिमाह जारी किया जाएगा.

3.2 जिले के थोक डीलरवार आवंटित केरोसीन की मात्रा का उचित मूल्य दुकानवार निर्धारण कलेक्टर द्वारा किया जाएगा.

3.3 केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन तथा अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 के प्रावधानानुसार केरोसीन की वास्तविक लागत दर का निर्धारण कलेक्टर द्वारा किया जाएगा.

3.4 कलेक्टर द्वारा उचित मूल्य दुकानवार केरोसीन की निर्धारित लागत दर का केरोसीन प्रदाय मात्रा से गुणांक करने पर प्राप्त कुल राशि को केरोसीन की कुल प्रदाय मात्रा से विभाजित करने पर प्रति लीटर केरोसीन की प्राप्त दर को रुपये के गुणांक में राउण्ड-ऑफ करने पर एकसमान उपभोक्ता दर का निर्धारण किया जाए.

3.5 जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों से उपभोक्ताओं को कंडिका 3.4 अनुसार निर्धारित एकसमान पूर्णांक उपभोक्ता दर पर केरोसीन का वितरण किया जाएगा.

3.6 एकसमान पूर्णांक उपभोक्ता दर का निर्धारण करने पर यदि किसी केरोसीन थोक डीलर्स को वास्तविक लागत से कम राशि प्राप्त होती है, तो उसकी प्रतिपूर्ति जिले के अन्य केरोसीन थोक डीलर जिन्हें लागत से अधिक राशि प्राप्त हो रही है, उनसे कलेक्टर द्वारा सीधे भुगतान कराई जाए जिसके लिए जिले को कोई राशि शासन द्वारा देय नहीं होगी.

4. **निधि में आय के स्रोत.**—एकसमान पूर्णांक (राउण्ड-ऑफ) में उपभोक्ता मूल्य पर केरोसीन के वितरण से बचत अतिशेष रकम एवं उस पर प्राप्त ब्याज;

5. **निधि खाता.**—पूर्णांक (राउण्ड-ऑफ) से बचत की राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) हेतु राज्य स्तर पर खोले गए खाते में जमा की जाएगी.

6. **निधि में जमा राशि का भुगतान.**—(क) एकसमान पूर्णांक (राउण्ड-ऑफ) उपभोक्ता मूल्य निर्धारण करने पर जो राशि प्रतिवर्ष 31 मार्च की स्थिति में मय ब्याज के जमा होगी उस राशि को 30 अप्रैल तक जिले के सभी केरोसीन प्राप्त करने की पात्रता रखने वाले परिवारों को समान रूप से एकमुश्त भुगतान की जाएगी.

(ख) सभी पात्रता रखने वाले परिवारों को राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया अनुसार राशि का भुगतान किया जाएगा चाहे परिवार द्वारा केरोसीन प्राप्त किया हो अथवा नहीं.

7. **लेखों का संधारण एवं संपरीक्षा.**—आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा निधि के लेखे संधारित किए जाएंगे. लेखों का आयुक्त, खाद्य एवं कलेक्टर द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो माह के भीतर अंकेक्षक द्वारा संपरीक्षा (ऑडिट) कराई जाएगी. आय-व्यय का विवरण के साथ संपरीक्षा प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट) कलेक्टर द्वारा 15 जून तक आयुक्त, खाद्य को एवं उनके द्वारा 15 जुलाई तक शासन को प्रेषित की जाएगी. राज्य सरकार द्वारा आय-व्यय का विवरण एवं संपरीक्षा प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट) की जांच कराई जा सकेगी.

8. **राज्य सरकार का विनिश्चय.**—कलेक्टर इन नियमों के अन्तर्गत केरोसीन की एकसमान पूर्णांक (राउण्ड-ऑफ) उपभोक्ता दर का निर्धारण कर आयुक्त को सूचित करेंगे और राज्य सरकार का मामले में विनिश्चय अंतिम होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. चन्देल, उपसचिव.